रायपुर, दिनांक 12 फरवरी 2013

क्रमांक 448/पं.ग्रा.वि.वि./22/2013.—महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा-4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, 2005 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त योजना में,—

1. योजना के कंडिका 1.1 में, शब्द "छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, 2005" के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, 2005" प्रतिस्थापित किया जाए।

2. योजना में जहां कहीं भी शब्द "छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना" आया हो, के स्थान पर, शब्द "छत्तीसगढ़ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना" प्रतिस्थापित किया जाए।

3. योजना में कंडिका 1.2 के स्थान पर निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"1.2 प्रदेश में योजना का क्षेत्राधिकार राज्य के समस्त 27 जिलों के ग्रामीण क्षेत्र में होगा।" 5.

4. योजना के कंडिका 1.6.1 के स्थान पर निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"1.6.1 राज्य स्तर पर छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् का गठन किया जावेगा, जिसमें निम्नानुसार पदाधिकारी/सदस्य होंगे :—

(i)	अध्यक्ष	: मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन
(ii)	उपाध्यक्ष	: मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन
(iii)	पदेन सदस्य	: मंत्री, वित्त एवं योजना विभाग, छत्तीसगढ़ शासन
(iv)	पदेन सदस्य	: मंत्री, वन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन
(v)	पदेन सदस्य	: मंत्री, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन
(vi)	पदेन सदस्य	: मंत्री, राजस्व विभाग, छत्तीसगढ़ शासन
(vii)	पदेन सदस्य	: मंत्री, लोक निर्माण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन
(viii)	पदेन सदस्य	: मंत्री, कृषि विभाग, छत्तीसगढ़ शासन

धारा 4 की
टी योजना.
"छत्तीसगढ़
"छत्तीसगढ़
पदाधिकारी

(ix) पदेन सदस्य : मंत्री, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन

(x) पदेन सदस्य : मंत्री, विधि और विधायी कार्य विभाग, छत्तीसगढ़ शासन

(xi) पदेन सदस्य : मंत्री, श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन

(xii) पदेन सदस्य : उपाध्यक्ष, राज्य योजना मण्डल

(xiii)पदेन सदस्य : मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन

(xiv)पदेन सदस्य : आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा

(xv)सदस्य सचिव : अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन

(xvi)नामांकित सदस्य : राज्य शासन द्वारा नामांकित 6 अशासकीय सदस्य रहेंगे, जिनमें से कम से कम दो महिलायें होंगी। पंचायतीराज संस्थाओं के प्रतिनिधि–1, अनु.जाति–1, अनु.जनजाति–1, अन्य पिछड़ा वर्ग–1, अल्प संख्यक–1, गैर शासकीय संगठन–1 का प्रतिनिधि होना अनिवार्य है।"

5. योजना के कंडिका 1.6.2 के स्थान पर, निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"**1.6.2 छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् की सामान्य सभा के कार्य :–**

(i) राज्य मे योजना और उसके क्रियान्वयन से संबंधित सभी विषयों पर राज्य शासन को सलाह देना।

(ii) अधिमानित कार्यो का अवधारणा करना।

(iii) योजना के अंतर्गत होने वाले कार्यो की प्राथमिकता निर्धारण करना और अधिनियम की अनुसूची–एक, अनुच्छेद–1 (xvi) के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा भारत सरकार को भेजे जाने वाले कार्य प्रस्तावित करना।

(iv) योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार करने क संबंध में नीति तय करना।

(v) केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद् से आवश्यक समन्वय स्थापित करना।

(vi) योजना के क्रियान्वयन से संबंधित पर्यवेक्षण, अनुश्रवण करना।

(vii) राज्य शासन द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किये जाने हेतु वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।

(viii) केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद् अथवा राज्य शासन द्वारा निर्देशित अन्य कार्यों को निष्पादित करना।

(ix) भारत सरकार, राज्य शासन एवं स्वायत संस्थाओं के सहयोग से परिषद् के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये उपयुक्त अधिकार सम्पन्न प्रशासकीय ढाँचा निर्मित करना।

(x) परिषद् के कार्य संचालन हेतु नियम बनाना, आवश्यकतानुसार नियमों में संशोधन करना, नियमों में परिवर्तन करना और नियमों को निरस्त करना।

(xi) राज्य स्तरीय सशक्त समिति को ऐसी शक्तियाँ एवं कर्तव्य सौपना जैसा परिषद् उचित समझे।

(xii) राज्य में अधिनियम के अंतर्गत प्रचलित योजनाओं का मूल्यांकन करने तथा उस प्रयोजन के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था और योजनाओं तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से संबंधित आंकडे संग्रहित करने या करवाने की शक्ति।

(xiii) ऐसे समस्त कार्य एवं गतिविधियाँ हाथ में लेना जो परिषद् के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक हों।"

6. योजना के कंडिका 1.6.3 के स्थान पर, निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात

"**1.6.3** परिषद् की एक कार्यकारिणी समिति होगी, जिसका नाम राज्य स्तरीय सशक्त समि होगा, जिसमें निम्नानुसार पदाधिकारी/सदस्य होंगे :-

(i) अध्यक्ष	: मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
(ii) उपाध्यक्ष	: अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन
(iii)सदस्य	: कृषि उत्पादन आयुक्त
(iv)सदस्य	: प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन
(v)सदस्य	: प्रमुख सचिव, वन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन
(vi)सदस्य	: प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन
(vii)सदस्य	: प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, छत्तीसगढ़ शासन
(viii)सदस्य	: प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन
(ix) सदस्य	: प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, छत्तीसगढ़ शासन
(x) सदस्य	: प्रमुख सचिव, आदिम जाति विभाग, छत्तीसगढ़ शासन
(xi)सदस्य	: प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन
(xii)सदस्य	: प्रमुख सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग, छत्तीसगढ़ शासन
(xiii)सदस्य	: प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन
(xiv) सदस्य	: आयुक्त, जनसम्पर्क
(xv) सदस्य	: संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण
(xvi) सदस्य	: प्रभारी, राज्य सूचना केन्द्र
(xvii)सदस्य सचिव	: आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा

कार्यकारिणी समिति में विशेष आमंत्रित सदस्यों को भी बुलाने का प्रावधान होगा परन्तु विशेष आमंत्रित सदस्यों को मतदान का अधिकार नहीं होगा।"

7. योजना के कंडिका 1.6.5 के स्थान पर, निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"1.6.5 राज्य स्तरीय सशक्त समिति निम्नांकित कार्य करेंगी :–

(i) सशक्त समिति को परिषद् के निर्णयों के अधीन रहकर परिषद् तथा योजना के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु छत्तीसगढ़ कार्यपालक शासन के कार्य नियम के अंतर्गत समन्वय तथा मंत्रि–परिषद् को प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरणों में निर्णय लेने के लिए समस्त वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार होंगे।

(ii) महात्मा गांधी नरेगा के क्रियान्वयन के लिए लोक निर्माण विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मत्स्य पालन विभाग, जल संसाधन विभाग, वन विभाग, वित्त विभाग तथा कृषि विभाग के समस्त अधिकार राज्य स्तरीय सशक्त समिति को प्राप्त होंगे। महात्मा गांधी नरेगा के सुचारू रूप से संचालन करने के लिए इस सशक्त समिति के सभी निर्णय अंतिम होंगे।

(iii) भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के परिपेक्ष्य में महात्मा गांधी नरेगा का क्रियान्वयन एवं वित्तीय अधिकारों के अंतर्गत कार्यवाही करना।

(iv) परिषद् के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न स्तरों जिसमें मैदानी स्तर भी सम्मिलित हो, को आवश्यक शक्तियां प्रत्यायोजित करना।

(v) केन्द्र सरकार से योजनांतर्गत प्राप्त राशि का संधारण।

(vi) महात्मा गांधी नरेगा से संबंधित कार्यो के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना।

(vii) जिलों से मांग अनुसार वित्तीय प्रबंधन करना।

(viii) शिकायतों के त्वरित निराकरण हेतु प्रक्रिया का निर्धारण करना एवं सुधार हेतु सुझाव देना।

(ix) योजना की समीक्षा करना एवं प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकारों के अनुसार कार्यवाही करना।

(x) योजना का प्रचार–प्रसार करना।

(xi) अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत केन्द्र सरकार को विभिन्न अनुशंसा करना।

(xii) ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में समिति द्वारा निर्णित प्रकरणों को मंत्रि–परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(xiii) पिछले वर्ष का आय–व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष सामान्य सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।

(xiv) राज्य स्तरीय सशक्त समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना। संस्था की चल–अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।

(xv) अधिकारी/कर्मचारियों की नियुक्ति करना।

(xvi) अन्य आवश्यक कार्य करना, जो सामान्य सभा द्वारा समय–समय पर सौंपे जाए।

(xvii)परिषद् की समस्त चल–अचल सम्पत्ति, राज्य स्तरीय सशक्त समिति के नाम से रहेगी।

(xviii)परिषद् द्वारा कोई भी स्थावर सम्पत्ति, रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या अंतरित नहीं की जाएगी।

(xix)विशेष बैठक आमंत्रित कर परिषद् के विधान में संशोधन किए जाने के प्रस्ताव पर विचार–विमर्श कर सामान्य सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी। सामान्य सभा में कुल 2/3 सदस्यों के मत से संशोधन पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा।

(xx) जिला स्तर पर अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक के अधीन छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् की क्रियान्वयन इकाई होगी।"

8. योजना के कंडिका 2.1.11 के स्थान पर, निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"**2.1.11** योजनांतर्गत प्राप्त 06 प्रतिशत प्रशासकीय व्यय मद् से जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश के अनुरूप होगा।"

9. योजना के कंडिका 2.5.1 के स्थान पर, निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"**2.5.1** ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित ग्राम पंचायत में निवासरत अकुशल शारीरिक श्रम करने हेतु इच्छुक परिवारों के पंजीकरण की प्रक्रिया "पंजीकरण अधिकारी/सरपंच ग्राम पंचायत" द्वारा की जावेगी।"

10. योजना के कंडिका 2.6.3 के स्थान पर, निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"**2.6.3** परिवार रोजगार कार्ड (जॉबकार्ड) में परिवर्तन के लिए ग्राम पंचायत सक्षम होगी। परिवर्तित परिवार रोजगार कार्ड सरपंच/पंजीयन अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किया जावेगा। यदि ग्राम पंचायत द्वारा कोई संशोधन प्रस्तावित किए जाते है तो ग्राम पंचायत की अनुशंसा के अनुसार परिवार रोजगार कार्ड में संशोधन किए जाकर संशोधित परिवार रोजगार कार्ड परिवार के मुखिया को उपलब्ध कराया जाएगा।"

11. योजना के कंडिका 2.6.5 के स्थान पर, निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"**2.6.5** सरपंच के निर्णय से असंतुष्ट होने पर कार्यक्रम अधिकारी को सात दिवस में अपील प्रस्तुत की जा सकेगी। कार्यक्रम अधिकारी यथोचित जांच उपरांत एक सप्ताह में अपील का निराकरण करेंगे। कार्यक्रम अधिकारी के निर्णय से व्यथित व्यक्ति अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक के समक्ष सात दिवस के भीतर अपील प्रस्तुत कर सकता है, जिसका निराकरण एक सप्ताह में करना होगा।"

12. योजना के कंडिका 2.6.6 के स्थान पर, निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात :–

"2.6.6 ग्राम पंचायत द्वारा किए गए संशोधनों की जानकारी कार्यक्रम अधिकारी को दी जावेगी। यदि कार्यक्रम अधिकारी किसी भी प्रविष्टि को संदिग्ध मानते हैं तो अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक के समक्ष अंतिम आदेश हेतु प्रस्तुत करेंगे, जिनका निर्णय अंतिम होगा।"

13. योजना के कंडिका 2.8.6 में शब्द एवं अंक "50 परिवारों" के स्थान पर, शब्द एवं अंक "10 श्रमिकों" प्रतिस्थापित किया जाए।

14. योजना के कंडिका 2.8.8 के स्थान पर, निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप रोजगार हेतु आवेदन प्राप्त होने पर रोजगार उपलब्ध कराना बंधनकारी होगा। पन्द्रह दिवस के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराने की दशा में बेरोजगारी भत्ते की पात्रता आवेदक को होगी।"

15. योजना के कंडिका 3.1 के स्थान पर, निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"योजना के केन्द्र बिन्दु निम्नलिखित संकर्मों पर होगा और उसकी पूर्विकता क्रम प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा और वार्ड सभा के अधिवेशनों में अवधारित किया जाएगा, अर्थात्:–

(i) जल संरक्षण एवं जल शस्य संचयन जिसके अंतर्गत कन्टूर खाइयॉं, कन्टूर बंध, गोलश्म चेक, गबियन संरचनाएं, भूमिगत नहरें, मिट्टी के बांध, स्टॉप बांध और झरनों का विकास भी है;
(ii) सूखारोधी, जिसके अंतर्गत वनरोपण और वृक्षारोपण भी है;
(iii) सिंचाई नहरें, जिनके अंतर्गत सूक्ष्म और लघु सिंचाई संकर्म भी हैं;
(iv) कंडिका 3.1.1 में विनिर्दिष्ट गृहस्थियों के स्वामित्वाधीन भूमि पर सिंचाई सुविधा, फार्म पर खोदा गया पोखर, बागवानी, वृक्षारोपण, मेढ़बंधन और भूमि विकास का उपबंध;
(v) पारम्परिक जल निकायों का नवीकरण, जिसके अंतर्गत तालाबो का शुद्धिकरण भी है;
(vi) भूमि विकास;
(vii) जलरुद्ध क्षेत्रों में जल निकास सहित बाढ़ नियंत्रण और संरक्षण संकर्म, जिसके अंतर्गत बाढ़ नियंत्रण नालियों को गहरा करना और उनकी मरम्मत करना, चौर नवीकरण, तटीय संरक्षण के लिए विप्लव जल नालियों का संनिर्माण;
(viii) सभी मौसमों में पहुंच को उपलब्ध करने के लिए ग्रामीण संयोजकता, जिसके अंतर्गत गांव के भीतर जहां कहीं आवश्यक हो, पुलिया और सड़कें भी है;
(ix) ब्लाक स्तर पर ज्ञान संसाधन केन्द्र के रूप में और ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत भवन के रूप में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र का निर्माण;
(x) एनएडीईपी कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, लिक्विड बायो–मेन्योर जैसे कृषि संबंधी संकर्म;
(xi) कुक्कुट आश्रय स्थल, बकरी आश्रय स्थल, पक्का फर्श, यूरिन टैंक का निर्माण और अजोला जैसा पशु भोजन संपूरक जैसे पशुधन संबंधी संकर्म;
(xii) सार्वजनिक भूमि पर मौसमी जल निकायों में मत्स्य पालन जैसे मत्स्य संबंधी संकर्म;
(xiii) तटीय क्षेत्रों में मछली शुष्कन यार्ड, बेल्ट वेजिटेशन जैसे संकर्म;

भाग 1

(xiv) सोक पिट्स, रिचार्ज पिट्स जैसे ग्रामीण पेयजल संबंधी संकर्म;

(xv) व्यक्तिगत घरेलू पखाने, विद्यालय शौचालय इकाइयाँ, आंगनबाड़ी शौचालय, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन जैसे ग्रामीण स्वच्छता संबंधी संकर्म;

(xvi) ऐसा कोई अन्य कार्य, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा, राज्य सरकार के परामर्श से, अधिसूचित किया जाए।"

16. योजना के कंडिका 3.1 के पश्चात्, निम्नलिखित कंडिका अंतःस्थापित किए जाए, अर्थात्:— 19.

"**3.1.1** कंडिका 3.1 की मद (iv), (x), (xi) और (xiii) से (xv) में उल्लिखित सभी क्रियाकलाप अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के गृहस्थों या गरीबी रेखा से नीचे के कुटुम्बों की या भूमि सुधार के हिताधिकारियों की या भारत सरकार की इंदिरा आवास योजना के हिताधिकारियों की या कृषि ऋण अधित्यजन और ऋण राहत स्कीम, 2008 में यथा परिभाषित छोटे या सीमांत कृषकों की या अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) के अधीन हिताधिकारियों के स्वामित्वाधीन भूमि या गृह संपदा पर अनुज्ञात किये जाएंगे।

'3.6

3.6

3.6

3.6

3.1.2 कंडिका 3.1 की मद (iv), (x), (xi) और (xiii) से (xv) में निर्दिष्ट संकर्मों को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए किया जाएगा, अर्थात्:—

(क) कंडिका 3.1.1 में निर्दिष्ट गृहस्थियों के पास जॉब कार्ड होगा; और

(ख) हिताधिकारी, उनकी भूमि या गृह संपदा पर की जाने वाली परियोजनाओं पर कार्य करेंगे।"

17. योजना के कंडिका 3.5.1 के स्थान पर, निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"योजनांतर्गत कार्य करने वाले प्रत्येक श्रमिक को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 6 की उपधारा (1) के प्रावधान के तहत् भारत सरकार द्वारा अधिसूचित मजदूरी पाने का हक होगा।"

18. योजना के कंडिका 3.5.5 के पश्चात्, निम्नलिखित कंडिका अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"**3.5.6** मजदूरी का भुगतान, यदि इस प्रकार छूट न दी गई हो, केन्द्र सरकार के निर्देशों के अनुसार कर्मियों के बैंकों या डाकघरों में खोले गए एकल या संयुक्त बचत खातों के माध्यम से किया जाएगा।

3.5.7 (i) विभिन्न अकुशल श्रमिकों के लिए मजदूरी की दरों की अनुसूची इस प्रकार नियत की जाएगी कि विश्राम के एक घंटे सहित नौ घंटे के लिए

काम करने वाला कोई व्यस्क व्यक्ति सामान्यतया मजदूरी दर के बराबर मजदूरी उपार्जित कर सके।

(ii) किसी व्यस्क कर्मकार के कार्यदिवस, जिसके अंतर्गत विश्राम के अंतराल भी हैं, यदि कोई हों, इस प्रकार व्यवस्थित किए जाएंगे कि वह किसी दिवस को बारह घंटे से अधिक न हो।"

19. योजना के कंडिका 3.6.1 से 3.6.5 तक के स्थान पर, निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"3.6.1 योजनान्तर्गत प्रत्येक पंजीकृत परिवार को मांग के आधार पर 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाए।

3.6.2 [illegible] काम एजेंसिया द्वारा उपलब्ध कराये गए श्रमिक दिवसों की प्रविष्टि परिवार रोजगार कार्ड में दर्ज किया जाना अनिवार्य होगा।

3.6.3 बेरोजगारी भत्ता की पात्रता — महात्मा गांधी नरेगा के तहत रोजगार के लिए आवेदन देने वाले किसी मजदूर को उस तारीख के 15 दिन बाद तक भी रोजगार नहीं मिल पाता है, जिस तारीख से वह काम करना चाहता है तो निर्धारित दर के हिसाब से आवेदक को बेरोजगारी भत्ता देय [illegible]।

3.6.4 बेरोजगारी भत्ता निम्नानुसार देय नहीं होगा [illegible]

3.6.4.1 प्राकृतिक आपदा जैसे— अतिवृष्टि, बाढ़, भूकम्प आदि ऐसी घटनाएं जिन पर सामान्यतः किसी का नियंत्रण नहीं होता है तथा विषम परिस्थितियां जैसे [illegible] आदि में ग्राम पंचायत अथवा क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा [illegible] रोजगार उपलब्ध कराया जाना सम्भव न हो सके तो [illegible] शासन द्वारा घोषित अवधि एवं क्षेत्र में बेरोजगारी भत्ता देय नहीं होगा।

3.6.4.2 ग्राम पंचायत अथवा क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा आवेदक को कार्य [illegible] को [illegible] 15 दिन के भीतर [illegible] नहीं [illegible] पर।

3.6.4.3 ग्राम पंचायत अथवा क्रियान्वयन एजेंसी की अनुमति [illegible] अधिक अवधि के लिए कार्य से लगातार अनुपस्थित रहने पर या किसी माह में [illegible] सप्ताह से अधिक की कुल अवधि के लिये अनुपस्थित रहने पर आवेदक तीन माह के लिये बेरोजगारी भत्ता का हकदार नहीं होगा, तथापि इस अवधि में रोजगार हेतु आवेदन कर सकता है।

3.6.4.4 उस अवधि हेतु जिसमें आवेदक अथवा उसके परिवार का कोई वयस्क सदस्य जिसका नाम परिवार रोजगार कार्ड में दर्ज है, योजनान्तर्गत कार्यरत है / [illegible]

3.6.5 बेरोजगारी भत्ता का [illegible] एवं भुगतान प्रक्रिया

3.6.5.1 [illegible] योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता वित्तीय वर्ष में प्रथम 30 दिनों के लिये न्यूनतम मजदूरी [illegible] के चौथाई दर से तथा शेष [illegible] अवधि के लिये न्यूनतम [illegible]

मजदूरी दर का आधा देय होगा। बेरोजगारी भत्ते की अधिकतम सीमा परिवार को कुल 100 दिन रोजगार हेतु प्राप्त होने वाली न्यूनतम मजदूरी राशि से अधिक नहीं होगी ।

3.6.5.2 प्रत्येक आवेदक को रोजगार प्रदाय हेतु निर्धारित तिथि की समाप्ति के 15 दिवस के भीतर ग्राम पंचायत के माध्यम से कार्यक्रम अधिकारी को बेरोजगारी भत्ते के लिये आवेदन देना होगा। पृथक–पृथक अवधि हेतु बेरोजगारी भत्ता के लिये पृथक–पृथक आवेदन देना होगा ।

3.6.5.3 बेरोजगारी भत्ता हेतु प्रस्तुत आवेदन के साथ संबंधित अवधि में रोजगार की मांग हेतु दिये गए आवेदन की पावती संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

3.6.5.4 ग्राम पंचायत/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा निर्देशित कार्य पर उपस्थित होने पर कार्य क्रियान्वयन अधिकारी द्वारा कार्य नहीं दिया गया हो तो तत्सबंधी कार्य में उपस्थित होने का प्रमाण/साक्ष्य आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदन अमान्य कर दिया जायेगा ।

3.6.5.5 ग्राम पंचायत प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच/परीक्षण कर अपनी टीप के साथ कार्यक्रम अधिकारी को 05 दिवस के भीतर अग्रेषित करेगें।

3.6.5.6 कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पर 05 दिवस के भीतर बेरोजगारी भत्ता स्वीकृति/अस्वीकृति के संबंध में निर्णय लिया जाकर, आदेश की प्रति आवेदक, ग्राम पंचायत एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक को अनिवार्यतः उपलब्ध कराया जावेगा ।

3.6.5.7 बेरोजगारी भत्ता स्वीकृति की दशा में कार्यक्रम अधिकारी को प्रत्येक आवेदन में रोजगार उपलब्ध नहीं कराने का कारण दर्शाना होगा।

3.6.5.8 बेरोजगारी भत्ते का भुगतान भी उसी तरह किया जाए, जिस तरह मजदूरी का भुगतान किया जाता है।

3.6.5.9 बेरोजगारी भत्ते के भुगतान में उस तारीख के बाद 15 दिन से ज्यादा विलंब नहीं होना चाहिए, जिस दिन से संबंधित आवेदक बेरोजगारी भत्ते का अधिकारी हो चुका है। यदि इसमें किसी तरह की देरी होती है तो आवेदक को मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 के तहत मुआवजा पाने का अधिकार होगा ।

3.6.5.10 बेरोजगारी भत्ते के भुगतान का विवरण प्रत्येक माह कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जिला कार्यक्रम समन्वयक को भेजा जावेगा तथा जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा बेरोजगारी भत्ता का भुगतान एवं रोजगार अनुपलब्धता की स्थिति को स्पष्ट करते हुए त्रैमासिक प्रतिवेदन आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा को भेजा जायेगा ।"

20. योजना के कंडिका 4.1 के स्थान पर निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"4.1 जिला कार्यक्रम समन्वयक जिले के लिए पंचवर्षीय योजना तैयार करवायेगा जिसमें प्राथमिकता के आधार पर निम्नलिखित गतिविधियाँ शामिल होगी –

(i) जल संरक्षण एवं जल शस्य संचय जिसके अंतर्गत कन्टूर खाइयाँ, कन्टूर बंध, गोल्डर चेक, गेबियन संरचनाएं, भूमिगत नहरें, मिट्टी के बांध, स्टॉप बांध और झरनों का विकास भी है;

(ii) सूखा रोधी, जिसके अंतर्गत वनरोपण और वृक्षारोपण भी है;

(iii) सिंचाई नहरें, जिनके अंतर्गत सूक्ष्म और लघु सिंचाई संकर्म भी है;

(iv) कंडिका 3.1.1 में विनिर्दिष्ट गृहस्थियों के स्वामित्वाधीन भूमि पर सिंचाई सुविधा, फार्म पर खादा गया पोखर, बागवानी, वृक्षारोपण, मेढ़बंधन और भूमि विकास का उपबंध;

(v) पारम्परिक जल निकायों का नवीकरण, जिसके अंतर्गत तालाबों का शुद्धिकरण भी है;

(vi) भूमि विकास,

(vii) जलरूद्ध क्षेत्रों में जल निकास सहित बाढ़ नियंत्रण और संरक्षण संकर्म, जिसके अंतर्गत बाढ़ नियंत्रण नालियों को गहरा करना और उनकी मरम्मत करना और नवीकरण, तटीय संरक्षण के लिए विप्लव जल नालियों का संनिर्माण;

(viii) सभी मौसमों में पहुंच की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण संयोजकता, जिसके अंतर्गत ग्राम के भीतर, जहां कहीं आवश्यक हो, पुलिया और सड़कें भी है,

(ix) ब्लाक स्तर पर ज्ञान संसाधन केन्द्र के रूप में और ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत भवन के रूप में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र का निर्माण

(x) एनएडीईपी कम्पोस्टिंग, वर्मी कम्पोस्टिंग, लिक्विड बायो-मेन्योर जैसे कृषि संबंधी संकर्म;

(xi) कुक्कुट आश्रय स्थल, बकरी आश्रय स्थल, पक्का फर्श, यूरिन टैंक का निर्माण और अजोला जैसा पशु भोजन संपूरक जैसे पशुधन संबंधी संकर्म

(xii) सार्वजनिक भूमि पर मौसमी जल निकायों में मत्स्य पालन जैसे मत्स्य संबंधी संकर्म,

(xiii) तटीय क्षेत्रों में मछली शुष्कन यार्ड, बेल्ट वेजिटेशन जैसे संकर्म;

(xiv) सोक पिट्स, रिचार्ज पिट्स जैसे ग्रामीण पेयजल संबधी संकर्म,

(xv) व्यक्तिगत घरेलू पखाने, विद्यालय शौचालय इकाइयाँ, आंगनबाडी शौचालय, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन जैसे ग्रामीण स्वच्छता संबंधी संकर्म,

(xvi) ऐसा कोई अन्य कार्य, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा, राज्य सरकार के परामर्श से, अधिसूचित किया जाए।"

21. योजना के अध्याय 4 की कंडिका 4.8 के स्थान पर, निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"**4.8** कार्यक्रम के अंतर्गत आरंभ की गई **परियोजनाओं** की सामग्री संघटक की **लागत**, जिसके अंतर्गत कुशल **और अर्धकुशल कर्मकारों की** मजदूरी भी है, प्रत्येक ग्राम पंचायत के स्तर पर कुल **परियोजना लागत के चालीस** प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।"

22. योजना के अध्याय 5 की **कंडिका 5.1 से 5.6 के स्थान पर**, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत वित्तीय प्रबंधन "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, छत्तीसगढ़ निधि नियम, 2011" के प्रावधान के तहत् किया जाएगा।"

23. योजना के कंडिका 6.3.4 का लोप किया जाए।

24. योजना के कंडिका 6.3.5 के स्थान पर, निम्नलिखित कंडिका प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"**6.3.5** जिला पंचायत स्तर पर अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा [illegible] की अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना से जो कार्य मांग अनुसार जिले के विभिन्न क्रियान्वयन एजेंसियों के माध्यम से किया जाना है, के चयन संबंधी योजना तैयार कर जिला कार्यक्रम समन्वयक से स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त कर प्रशासकीय स्वीकृति आदेश जारी करेंगे।"

25. योजना के कंडिका 6.4 के पश्चात उल्लिखित शीर्षक "**6.4 पारदर्शिता** एवं उत्तरदायित्व" के स्थान पर, "**6.5 पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व**" प्रतिस्थापित किया जाए।

26. योजना के कंडिका "**6.4.1 ऑडिट**" के स्थान पर, "**6.5.1 ऑडिट**" प्रतिस्थापित किया जाए।

27. योजना के कंडिका 6.5.1.3 के पश्चात् निम्नलिखित कंडिका जोड़ी जाए, अर्थात्:–

"**6.5.1.4** योजनांतर्गत अंकेक्षण का कार्य भारत सरकार द्वारा अधिसूचित "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीमों की लेखा परीक्षा नियम, 2011" के प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा।"

28. योजना के कंडिका 6.5.2.3 के पश्चात् निम्नलिखित कंडिका जोड़ी जाए, अर्थात्:–

"**6.5.2.4** योजनांतर्गत सामाजिक अंकेक्षण का कार्य भारत सरकार द्वारा अधिसूचित "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीमों की लेखा परीक्षा नियम, 2011" के **प्रावधानों** के **अनुरूप** किया जाएगा।"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय देवांगन, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 12 फरवरी 2013

क्रमांक 449/पं.ग्रा.वि.वि./22/2013.--भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 448 दिनांक 12-02-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय देवांगन, उप सचिव.

Raipur, the 12th February 2013

No. 448/22/PRDD/2013.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005, the Government of Chhattisgarh hereby makes following amendment in the notification No. 1069/V-3/NREGS/2006, dated 3rd March, 2006 published by Panchayat and Rural Development department in the Chhattisgarh gazette (Asadharan) vide No. 78 dated 8 March, 2006, namely :—

1.	**In Para 1.1 of the State scheme, following new Para shall be substituted, namely :—**
	In place of words **"Chhattisgarh Rural Employment Guarantee Scheme 2005"** the words **"Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme"** shall be substituted. Wherever words **"Chhattisgarh Rural Employment Guarantee Scheme has occurred** shall be substituted by words **"Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme".**
2.	**For Para 1.2 of the State scheme, following new Para shall be substituted, namely :—**
	The extent of the scheme will be the rural areas of all 27 districts of the State.
3.	**For Para 1.6.1 of the state scheme, following new Para shall be substituted, namely :—**
	There shall be constituted a **"Chhattisgarh State Employment Guarantee Council"** at the State level, which shall consist of the following office bearers/ members :— (i) Chairman — Chief Minister, Government of Chhattisgarh (ii) Vice Chairman — Minister for Panchayat & Rural Development

	(i)	To advice state Government in all matters related to schemes and their implementation in the state
	(ii)	Ascertaining preference of works
	(iii)	To ascertain preference of work to be undertaken under the scheme and make proposals of works to be sent to Government of India by the state government under schedule I of section 1(xvi) of the Act.
	(iv)	To make extensive publicity & dissemination of the scheme;
	(v)	To establish necessary co-ordination with the Centrall Employment Guarantee Council.
	(vi)	To supervise and monitor in relation with the implementation of the scheme;
	(vii)	To prepare annual report for placing before the legislative Assembly by state Government
	(viii)	To execute other duties as instructed by the Central Employment Guarantee Council or State Government
	(ix)	To construct a proper rightful administrative structure for achieving the aims of council with the help of Central and state government and Autonomous institutes;
	(x)	To make rules, make amendments in the rules according to necessity, make changes in rules and cancel the rules, for conduct of functions of the council;
	(xi)	To entrust such powers and duties to state level empowered committee as the council may deem fit;
	(xii)	Shall invite special meeting to discuss on the proposals forr amendment in the Council Act, to be submitted in the special meeting of the General Body for its approval. After approval of proposed amendment by 2/3rd members of general body, the approved proposal shall be sent to Registrar for approval.
	(xiii)	To take all such works and activities in hand which are essential for fulfilling the aims of the Council

5. **For Para 1.6.3 of the state scheme, following new Para shall be substituted, namely:-**

There shall be a state level empowered committee of the council which shall be named as State Level Empowerment Committee which shall consist of the following office bearers/members:-

(i)	Chairman	Chief Secretary
(ii)	Vice Chairman	Addl. Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary, Panchayat and Rural Development department
(iii)	Member	Commissioner, Agriculture Production
(iv)	Member	Principal Secretary, Finance Department
(v)	Member	Principal Secretary, Forest Department
(vi)	Member	Principal Secretary, Water Resource Department
(vii)	Member	Principal Secretary, Revenue Department
(viii)	Member	Principal Secretary, Public Works Department
(ix)	Member	Principal Secretary, Agriculture Department
(x)	Member	Principal Secretary, Tribal Welfare Department
(xi)	Member	Principal Secretary, Labour Department
(xii)	Member	Principal Secretary, Law & Legislature Department
(xiii)	Member	Principal Secretary, General Administration department
(xiv)	Member	Commissioner, Public Relation
(xv)	Member	Director, Panchayat and Social Welfare
(xvi)	Member	In Charge, National Information Centre
(xvii)	Member Secretary	[illegible] Employment Guarantee Council

	There will be provision to invite special invitee members in the Working Committee but these special invitee members will not have the right to vote.
6.	**For Para 1.6.5 of the state scheme, following new Para shall be substituted, namely:-**
	The State Level Empowerment Committee shall perform following duties:
	(i) The State Level Empowerment Committee, under the decisions of the Council, shall coordinate for fulfillment of objectives of the scheme under guiding principles of Chhattisgarh state administration and shall have the powers to take all financial and administrative decisions in the matter to be submitted before the Cabinet. (ii) The State Level Empowerment Committee shall have all the powers of the Public works department, Panchayat & Rural Development department, Fisheries department, Water Resource, Forest, Finance and Agriculture department for implementation of MNREGA scheme. All the decisions taken by the Committee in respect of proper implementation of MNREGA schemes shall be final. (iii) To take action under guiding principles of Government of India in relation with implementation of MNREGA schemes and financial powers. (iv) To delegate essential powers at different level including field level to accomplish objectives of the council. (v) Maintenance of funds received from Government of India under the scheme. (vi) Establish coordination between different departments in relation with MNREGA works. (vii) Management of finance according to demands of the districts. (viii) To determine procedure for speedy abrogation of complaints and give suggestions for improvement. (ix) To review the scheme and to take action in accordance with delegated financial powers.

	(x) Publication and dissemination of the scheme (xi) To make various recommendations to Central Government under the provision of the Act. (xii) To submit the cases decided every quarter by the Rural Development department, before the Cabinet (xiii) To submit previous year's income expenditure statement along with audited progress report in the general body meeting every year. (xiv) To disburse pay, allowances etc to officers/ staff of State level empowerment committee and institutions administered under it. To pay taxes etc to be levied upon its movable and immovable properties. (xv) To make appointments of officers/ staff. (xvi) To perform other essential works, which may be assigned by the General Body from time to time. (xvii) All movable and immovable properties of the council shall be in the name of State Level Empowerment Committee. (xviii) No property shall be sold or purchased or mortgaged by the Council without written permission of the Registrar. (xix) Shall invite special meeting to discuss on the proposals of amendment to be submitted before the Council and obtain approval of the General Body. After approval of the proposed amendment by 2/3rd members of General Body, the approved proposal shall be sent to Registrar for approval. (xx) There shall be an implementing unit of Chhattisgarh Rural employment guarantee council under the Additional District Programme Coordinator at the district level.
7.	**For Para 2.1.11 of the state scheme, following new Para shall be substituted, namely:-**
	Expenses incurred at the District, Janpad and Gram Panchayat level shall be reimbursed from 6% of amount received under the scheme for administrative expenses as per guide lines issued by Government of India.

8.	**For Para 2.5.1 of the state scheme, following new Para shall be substituted, namely:-**
	Registration process of families who are willing to work as unskilled physical labour. living in rural areas of particular gram panchayat, shall be done by the registration officer/ village sarpanch.
9.	**For Para 2.6.3 of the state scheme following new Para shall be substituted, namely:-**
	Gram Panchayat will be the competent authority for making any modification in the family employment card (job card). Modified family employment card will be issued with due signature of the Sarpanch/ Registration officer. If any changes are proposed by the gram panchayat then the modified family employment card shall be provided to the head of the family after having made changes in the family employment card on recommendation of the Gram Panchayat.
10	**For Para 2.6.5 of the state scheme, following new Para shall be substituted, namely:-**
	On being dissatisfied with the decision of Sarpanch, an appeal can be submitted to Programme Officer within 7 days. Programme Officer after conducting proper inquiry shall abrogate the appeal within a week time. On being dissatisfied with the decision of Programme Officer, may submit an appeal before Additional District Programme Coordinator within a week days, which must be abrogated within one week.
11.	**For Para 2.6.6 of the state scheme, following new Para shall be substituted, namely:-**
	Information regarding modifications made by gram panchayat should be given to Programme officer. If Programme officer feels doubtful about any entries then he shall produced the same before Additional District Programme Coordinator for final orders, whose decision shall be final
12	**In Para 2.8.6 of the scheme,** for word and figure **"50 families"**, word and figure **"10 labourers"** shall be substituted.

13	**For Para 2.8.8 of the state scheme, following new Para shall be substituted, namely:-**
	It is bound to provide employment on the receipt of application for employment as per provision of the Act. In case employment could not be provided with in 15 days then the applicant will become eligible to receive unemployment allowance.
14	**For Para 3.1 of the state scheme, following new Para shall be substituted, namely:-**
	Main focus of the scheme shall be on the following works and order of priority shall be determined by each gram panchayat in the meetings of Gram Sabha and Ward Sabha, namely:-
	(i) Water conservation and water harvesting including contour trenches, contour bunds, boulder checks, gabion structures, underground dykes, earthen dams, stop dams and spring shed development. (ii) drought proofing including Afforestation and tree plantation; (iii) irrigation canal including micro and minor irrigation works; (iv) provision of irrigation facility, dug out farm pond horticulture plantation, farm bunding and land development on land owned by households specified in para 3.1.1; (v) renovation of traditional water bodies including desilting of tanks; (vi) land development. (vii) Flood control and protection works including drainage in water logged areas including deepening and repairing of flood channels, chaur renovation, construction of storm water drains for coastal protection; (viii) Rural connectivity to provide all weather access, including culverts and roads within a village, wherever necessary; (ix) Construction of Bharat Nirman Rajiv Gandhi Sewa Kendra as knowledge Resource Centre at the Block level and as Gram Panchayat Bhawan at the Gram Panchayat level; (x) Agriculture related works, such as, NADEP composting, vermin-composting, liquid, bio-manures; (xi) Livestock related works, such as poultry shelter, goat shelter, construction of pucca floor, urine tank and fodder trough for cattle, azolia as cattle-feed supplement;

	(xii) Fisheries related works, such as, fisheries in seasonal water bodies on public land; (xiii) Works in coastal areas, such as, fish drying yards, belt vegetation. (xiv) Rural drinking water related works, such as, soak pits, recharge pits; (xv) Rural sanitation related works, such as, individual household latrines, school toilet units, anganwadi toilets, solid and liquid waste management; (xvi) Any other work which may be notified by the Central Government in consultation with the State Government.
15.	**After Para 3.1 following new Para 3.1.1 and Para 3.1.2 shall be inserted, namely**
3.1.1	All activities mentioned in items (iv), (x), (xi) and items (xiii) to (xv) of paragraph 3.1 shall be allowed on land or homestead owned by households belonging to the scheduled Castes and Scheduled Tribes or below poverty line families or the beneficiaries of land reforms or the beneficiaries under the Indira Awas Yojana of the Government of India or that of the small or marginal farmers as defined in the Agriculture Debt Waiver and Debt Relief Scheme, 2008 or the beneficiaries under the Schedule3d Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No.2 of 2007)
3.1.2	The works referred to in items (iv), (x), (xi) and items (xiii) to (xv) of paragraph 3.1 shall be taken up subject to the following conditions, namely:- a. The households referred to in paragraph 3.1 shall have the job card; and b. The beneficiaries shall work on the project undertaken on their land or homestead.
16.	**For Para 3.5.1 of the state scheme, following new para shall be substituted, namely:-**
	Every person working under the scheme shall have the right to receive wages as notified by the Government of India under the provision of Section 6(1) of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005.

17	**After Para 3.5.5 following new Para shall be inserted, namely:-**
3.5.6	The payment of wages shall unless so exempted be made through the individual or joint savings accounts of the workers in the bank or post offices opened in accordance with the directions of the Central Government.
3.5.7	(i) The schedule of rates of wages for various unskilled labour shall be so fixed up that an adult person working for nine hours including an hour of rest would normally earn a wage equal to the wage rate. (ii) The working days of an adult worker shall be so arranged that inclusive of intervals of rest, if any, it shall not spread over more than twelve hours on any day.
18.	**In place of Para 3.6.1 to 3.6.5, following new Para shall be substituted, namely:-**
3.6.1	A family registered under the scheme shall be provided 100 days employment as per demand.
3.6.2	Entries of man days, provided in all works under scheme through agencies, shall be made in the family employment card.
3.6.3	Eligibility for Unemployment allowance- Any labour after submitting application under Mahatma Gandhi National Rural Employment scheme for an employment, do not get employment even after 15 days from the date of application, shall be paid unemployment allowance at prescribed rate from the date of his application.
3.6.4	Unemployment allowance shall not be paid:-
3.6.4.1	Natural calamities such as- draught, floods, earthquake etc on which generally nobody has control over it, and critical conditions like strikes etc. during these days if it is not possible for Gram Panchayats and implementing agencies to provide employment, then the unemployment allowance shall not be paid for the specific period and area as notified by the State Government.
3.6.4.2	In case applicant did not present for work within 15 days from the date of notice issued by Gram Panchayat or implementing agency.

3.6.4.3	In case applicant become absent for more than one week continuously or become absent for more than a week in any month, applicant will not have the right to get unemployment allowance for three months. However during this period he can apply for employment.
3.6.4.4	In case during that period in which applicant or any adult member of his family member's names are enlisted in the family employment card, and has been working/ has worked.
3.6.5	**Evaluation of Unemployment Allowance and disbursement process:-**
3.6.5.1	Unemployment allowance for the first 30 days during the financial year shall be paid at one fourth rate of the minimum wage rate and half the rate of minimum wage for remaining continuous days. Maximum limit of unemployment allowance shall not exceed total wages of 100 days to be provided to a household at minimum wage rate.
3.6.5.2	Every applicant shall have to submit an application for employment within 15 days before the close of prescribed period to Programme officer through Gram Panchayat for unemployment allowance. Separate application for unemployment allowance for separate period shall be to be submitted.
3.6.5.3	It is necessary to enclose the receipt of application submitted seeking for employment, along with the application submitted for unemployment allowance.
3.6.5.4	It shall be compulsory to enclose a certificate/ evidence that employment was not provided by the implementing agency when the applicant was present at the work site as directed by Gram Panchayat/ Programme officer, otherwise his application will be rejected.
3.6.5.5	Gram Panchayat shall scrutinize/ examine the application so received, and shall forward to Programme officer with his comments within 5 days.
3.6.5.6	After having taken decision of acceptance/ rejection of applications received by the Programme officer regarding unemployment allowance within 5 days, shall provide order copy to the applicant, Gram Panchayat and District Programme Coordinator compulsorily.

3.6.5.[illegible]	In case of sanctioning unemployment allowance Programme officer shall have to mention reasons on every application for not providing employment.
3.6.[illegible]	Disbursement of unemployment allowance should be done in same manner as labour payment is being done.
3.6.[illegible]	There should not be delay in disbursement of unemployment allowance for more than 15 days from the date on which applicant has got the right to receive the allowance. If there is any delay then the applicant will have the right to get compensation under Labour Payment Act 1936.
3.6.[illegible]	Details of disbursement of unemployment allowance shall be sent to District Programme Coordinator every month by Programme officer and a quarterly report stating specific reasons regarding payment of unemployment allowance and unavailability of employment shall be sent to Commissioner, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee council by the District Programme Coordinator.
19.	**For Para 4.1 of the state scheme, following new Para shall be substituted, namely:-**
	District Programme Coordinator shall get prepared a five year plan for the district, in which the following activities will be included on priority basis :-
	(i) Water conservation and water harvesting including contour trenches, [illegible] contour bunds, boulder checks, gabion structures, underground dykes, earthen dams, stop dams and spring shed development. (ii) drought proofing including Afforestation and tree plantation; (iii) irrigation canal including micro and minor irrigation works; (iv) provision of irrigation facility, dug out farm pond, horticulture, plantation, farm bunding and land development on land owned by households specified in para 3.1.1; (v) renovation of traditional water bodies including desilting of tanks; (vi) Land development. (vii) Flood control and protection works including drainage in water logged areas including deepening and repairing of flood channels, chaur renovation, construction of storm water drains for coastal protection.

	(viii) Rural connectivity to provide all weather access, including culverts and roads within a village, wherever necessary; (ix) Construction of Bharat Nirman Rajiv Gandhi Sewa Kendra as knowledge Resource Centre at the Block level and as Gram Panchayat Bhawan at the Gram Panchayat level; (x) Agriculture related works, such as, NADEP composting, vermin-composting, liquid, bio-manures; (xi) Livestock related works, such as poultry shelter, goat shelter, construction of pucca floor, urine tank and fodder trough for cattle, azolla as cattle-feed supplement; (xii) Fisheries related works, such as, fisheries in seasonal water bodies on public land; (xiii) Works in coastal areas, such as, fish drying yards, belt vegetation. (xiv) Rural drinking water related works, such as, soak pits, recharge pits; (xv) Rural sanitation related works, such as, individual household latrines, school toilet units, anganwadi toilets, solid and liquid waste management; (xvi) Any other work which may be notified by the Central Government in consultation with the State Government
20	**Para 4.8 of the state scheme under Chapter IV, shall be deleted and in place following new Para shall be inserted, namely:-**
	The cost of material component of projects including the wages of the skilled and semi-skilled workers taken up under the scheme at every Gram Panchayat level shall not exceed 40% of the total cost of the project.
21	**Para 5.1 to 5.6 of Chapter V, shall be deleted and in place following new Para shall be inserted, namely:-**
	The Financial Management under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee shall be maintained as per the provisions of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee, Chhattisgarh Funding Rules, 2011.
22.	**Para 6.3.4 of the state scheme shall be deleted.**

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
DHANANJAY DEWANGAN, Deputy Secretary.